गुडामालानी

23/05/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। वकील प्रार्थिया द्वारा विपक्षीगण के समन डाक द्वारा भेजकर पोस्ट ऑफिस की डिलवरी रिपोर्ट पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समक्ष में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थिया से बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या: 68 / 2023

प्रार्थीगण :–
1. खुमाराम पुत्र राणाराम
2. खरथाराम पुत्र राणाराम
3. भंवरलाल पुत्र राणाराम
4. राणाराम पुत्र कानाराम
   जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–
1. दुर्गाराम पुत्र ताजाराम
2. जालाराम दत्तक पुत्र हराराम
3. बाबूलाल पुत्र पूनमाराम
4. सोनाराम पुत्र पूनमाराम
5. हुकमाराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट
6. जडावकंवर पत्नी मोडसिंह
7. नरपतसिंह पुत्र रतनसिंह
8. रविन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह
9. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत
10. दानाराम पुत्र चमनाराम
11. मेघा पुत्र दमाराम
12. राणा पुत्र दमाराम
13. रामाराम पुत्र चमना
14. विरधाराम पुत्र चमना
15. भंवराराम पुत्र अचलाराम
16. देदाराम पुत्र रिडमराम
17. पुखराज पुत्र मेगाराम
18. भींयाराम पुत्र रिडमलराम
19. मेगाराम पुत्र रिडमलराम
20. वालाराम पुत्र रिडमलराम
21. संजू पुत्री मेगाराम
22. सरस्वती पुत्री मेगाराम
23. पनाराम पुत्र अचलाराम जाति मेघवाल
24. टीकमाराम पुत्र डालूराम
25. नानगाराम पुत्र डालूराम
26. भीखा पुत्र काना
27. रेखराम पुत्र देदाराम
28. लाधूराम पुत्र देदाराम जाति जाट
29. रूपाराम पुत्र हुकमाराम जाति ब्राहमण निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी
30. उप वन संरक्षक, बाड़मेर
31. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.05.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

विपार्थीगण के विरुद्ध बावजूद नोटिश तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा मौखावा पटवार क्षेत्र मौखावा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 212/1, 220, 220/2, 223, 226 रकबा क्रमशः 4.3949, 4.0064, 0.0243, 0.0647, 7.073 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र मौखावा के राजस्व ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर 212/1, 220, 220/2, 223, 226 रकबा क्रमशः 4.3949, 4.0064, 0.0243, 0.0647, 7.073 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/5/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 598 　　　　　　　　　　दिनांक : 23/5/23

प्रार्थीगण 　　　　　　　　बनाम 　　　　　　　　विप्रार्थीगण

खुमाराम वगैरा 　　　　　　　　　　　　　**दुर्गाराम वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं.....68 / 2023.. 　　　　　　निर्णय दिनांक :– 23.05.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर......212 / 1, 220, 220 / 2, 223, 226 रकबा कमशः 4.3949, 4.0064, 0.0243, 0.0647, 7.073 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....गुड़ामालानी.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....1000/–...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईनदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

कमांकः वाद / 2023 / 599-600 　　　　　　　　दिनांक : 23/5/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी....मौखावा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.........खुमाराम वगैरा
5. विप्रार्थीगण.....दुर्गाराम वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी